प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 16 अक्टूबर, 2026

विषयः- जिला कारागार, चित्रकूट निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी सुनीता पुत्री ददुआ उर्फ दादूलाल, निवासी जनपद-चित्रकूट की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, चित्रकूट निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी सुनीता पुत्री ददुआ उर्फ दादूलाल (दिनांक 31.08.2025 तक आयु 20 वर्ष है) जो परसिद्धपुर, थाना-पहाड़ी, जनपद-चित्रकूट की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 27.01.2020 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फाँसी लगाकर श्रीमती अनीता की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-133/2020 में भा0द0वि की धारा-304बी/149, 498ए व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), चित्रकूट के आदेश दिनांक 25.09.2024 द्वारा 10 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट द्वारा महिला बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराधियों को संगठित करके अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में लिप्त होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। महिला बंदी द्वारा दिनांक 31.08.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 09 माह 18 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 11 माह, 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी को दिनांक 31.08.2025 तक महिला बन्दी की आयु 20 वर्ष एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त 10 वर्ष कारावास के सापेक्ष दिनांक 31.08.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 09 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 11 माह, 24 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, महिला बन्दी की स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने तथा पुलिस अधीक्षक/ जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, चित्रकूट निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी सुनीता (बन्दी संख्या-184/2024) पुत्री ददुआ उर्फ दादूलाल, निवासी जनपद-चित्रकूट की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1429/2026/766(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।

2- पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट।

3- अधीक्षक, जिला कारागार, चित्रकूट।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।